

**कार्यालय**  
**प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा**

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)  
पत्रांक 2272 / 12-1 (2) अल्मोड़ा दिनांक 24-10-2016

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

**विषय** कुनोली-मुनड़ा देवीखाल मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं० 10159/2015)


**सन्दर्भ** आनलाइन आपत्ति दिनांक 24.10.2016

महोदय,

विषयगत प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर दिया गया है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Thought in reply to point no. 4 digital map of the proposal road showing geo coordinates at all turning points has been uploaded at C (iv) Part I but the shape of the proposed road in this digital map is not matching with the shape of the proposed road uploaded in the KML file at C ii (b).	Corrected digital map of the proposal uploaded at C (iv) Part-(I).
2.	In reply to point no.8 it is mentioned that revised CA scheme is uploaded at L (iv) Part I but there is no such column in the online performa Part I. The CA scheme uploaded at 13 Part II is for 6.40 ha which needs to be revised as asked in point no. 8 of the EDS dated 05.07.2016.	Revised CA scheme uploaded at Additional information in Form A Part-I column L (iv)(b).
3.	The reply to point no. 7 of this office EDS date 05.07.2016 is not complete. The FRA certificate now uploaded at K Part I online is undated and proceeding of the meeting of Village Level Committee are provided only for village Bheyari only. May provide/upload FRA certificate with date and copy of the proceedings of the meeting of Village Level Committee for the remaining 6 villages.	In this proposal 5 villages are benefited, FRA certificate of 5 village uploaded at K Form A Part-(I).
4.	In online colum 2 Part II the legal status fo land proposed for diversion is shown as village Forest 2.1 ha & Revenue Forest 1.12 ha whereas in the land scheduled uploaded as additional document in Part I the whole 3.22 ha land is shown as van panchayat land. May clarify.	Corrected land schedule uploaded as additional document in Part-(II)
5.	In reply to Point no. 2 it is mentioned that NPV calculation is uploaded by DFO in Part II but the same is not found uploaded in Part II online.	NPV की नवीन प्रमाण पत्र आनलाइन पुनः अपलोड कर दिया गया है।
6.	In reply to point no. 5 the digital map of CA is not uploaded at L (iv) C Part I properly since the same is not opening. May upload again.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मैप पुनः पार्ट I के Additional information में उपलोड कर दिया गया है।
7.	As per Decision Support System (DSS) analysis of the KML file of CA area uploaded in Part I L, the area of CA is now correctly shown as 6.44 ha but out of this 3 ha area falls in Moderately Dense Forest (MDF). May explore the area of Moderately Dense Forest and upload revised KML file of CA area having 6.44 ha area without very dense or moderately dense forest. Revised digital map and location of CA area in Sol toposheet may also be uploaded/provided accordingly.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल वन भूमि 6.44 है०में कई बड़ी-बड़ी झाड़ियाँ हैं जिसका क्षेत्र डैन्स नहीं है।क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है जिसका मैप पार्ट I के Additional information में अपलोड कर दिया गया है।


भवदीय,

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा



**- देवीखाल मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 15.00 किमी०) - मुनडा**

0 0.5 1Km



**Legend**

- Proposed Plantaion Bandran Basal Civil 7.426 ha

Provincial Engineer  
 Provincial Division, P. W. Dept.  
 RANKFET (Almora)

१०/११/२०१६  
 १०/११/२०१६



परियोजना का नाम :- जनप्रद अल्मोड़ा कुलीली-गुन्डा-देवीखाल प्रभाग

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदन वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

- 1- ईको-क्लास श्रेणी..... V
- 2- हरियाली का घनत्व ..... 0.3
- 3- एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 ..... 657000/-
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल है0 ..... 3.220 हे०
- 5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 ..... 215540/- (दूकीस लाख प-50 हजार पाँच सौ चालीस) मात्र

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

Fax No. 05966-220679

पत्रांक 2558 / 36सी.  
सेवा में,

दिनांक रानीखेत अक्टूबर 24, 2016


प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।

**विषय :-** जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत कुनोली मुनोड़ा देवीखाल मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रस्ताव संख्या-10159/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 24.10.2016 को प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Thought in reply to point no. 4 digital map of the proposal road showing geo coordinates at all turning points has been uploaded at C (iv) Part I but the shape of the proposed road in this digital map is not matching with the shape of the proposed road uploaded in the KML file at C ii (b).	Corrected digital map of the proposal uploaded at C (iv) Part-(I).
2.	In reply to point no.8 it is mentioned that revised CA scheme is uploaded at L (iv) Part I but there is no such column in the online performa Part I. The CA scheme uploaded at 13 Part II is for 6.40 ha which needs to be revised as asked in point no. 8 of the EDS dated 05.07.2016.	Revised CA scheme uploaded at Additional information in Form A Part-I column L (iv)(b).
3.	The reply to point no. 7 of this office EDS date 05.07.2016 is not complete. The FRA certificate now uploaded at K Part I online is undated and proceeding of the meeting of Village Level Committee are provided only for village Bheyari only. May provide/upload FRA certificate with date and copy of the proceedings of the meeting of Village Level Committee for the remaining 6 villages.	In this proposal 5 villages are benefited, FRA certificate of 5 village uploaded at K Form A Part-(I).
4.	In online colum 2 Part II the legal status fo land proposed for diversion is shown as village Forest 2.1 ha & Revenue Forest 1.12 ha whereas in the land scheduled uploaded as additional document in Part I the whole 3.22 ha land is shown as van panchayat land. May clarify.	Corrected land schedule uploaded as additional document in Part-(II)
5.	In reply to Point no. 2 it is mentioned that NPV calculation is uploaded by DFO in Part II but the same is not found uploaded in Part II online.	Part of DFO.
6.	In reply to point no. 5 the digital map of CA is not uploaded at L (iv) C Part I properly since the same is not opening. May upload again.	Part of DFO.
7.	As per Decision Support System (DSS) analysis of the KML file of CA area uploaded in Part I L, the area of CA is now correctly shown as 6.44 ha but out of this 3 ha area falls in Moderately Dense Forest (MDF). May explore the area of Moderately Dense Forest and upload revised KML file of CA area having 6.44 ha area without very dense or moderately dense forest. Revised digital map and location of CA area in Sol toposheet may also be uploaded/provided accordingly.	Part of DFO.

  
अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

जनपद - अल्मोड़ा में कुलीली गुन्डा - देगीरवाल  
मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - डहला - भाडी  
तहसील - सल्ट, जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ~~अल्मोड़ा~~ के अन्तर्गत ~~कुलीली गुन्डा~~ परियोजना के निर्माण हेतु ( ~~—~~ हे0 आरक्षित वन भूमि, ~~—~~ हे0 सिविल सोयम भूमि, ~~1.12~~ हे0, वन पंचायत भूमि ~~2-100~~ हे0) अर्थात् कुल ~~322~~ हे0 वन भूमि का लान्ड रिजर्वेशन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~डहला~~ द्वारा दिनांक ~~11.1.2012~~ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~डहला भाडी~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ~~के लिये रिजर्वेशन~~ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी  
ग्राम सभा सचिव.....  
वि० ख० सल्ट (अल्मोड़ा)



नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के कुलोली - मुन्डा - देवीरवात  
गौर मारी

कार्यालय उप जिलाधिकारी, साल्ट  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, साल्ट

उपखण्ड साल्ट परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुलोली - मुन्डा - देवीरवात  
हे० आरक्षित वन भूमि, 28 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.12 हे०  
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3-220 हे० वन भूमि ) का  
लो क निर्वहण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित  
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के  
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील साल्ट) की दिनांक 11-01-2018 को  
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:- साल्ट

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक  
श्री सत्य प्रकाश, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की  
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सत्य प्रकाश उपजिलाधिकारी साल्ट अध्यक्ष
- 2- श्री लाल केशव उप प्रभागीय वनाधिकारी सलीरवात सदस्य
- 3- श्री सत्य प्रकाश सहायक समाज कल्याण अधिकारी साल्ट सदस्य/सचिव
- 4- श्री गणेश सिंह रावत डी०डी०सी० क्षेत्र उन्हाई सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी  
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया  
कि कुलोली - मुन्डा - देवीरवात गौर मारी

परियोजना हेतु 3.22 हे० वन  
भूमि प्रा० ख० लो० वि० वि० सलीरवात

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों  
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त  
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग  
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सलीरवात द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य  
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008  
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन  
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया  
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।



सत्य प्रकाश  
DISTRICT FORESTER  
SALT DISTRICT  
ALMORA



प्रपत्र-23.1

दिनांक 11/11/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खैराबाद

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	महेश्वर सिंह 2017 - SEWA	
2	पंकज शर्मा " "	
3	विनोद सिंह " "	
4	राम सिंह " "	
5	मोहन सिंह " "	
6	शक्ति प्रसाद " "	
7	पवन सिंह " "	
8	दिकर सिंह " "	

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम पं०

वि० ख० (अल्मोड़ा)

ह० / -

ग्राम प्रधान

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सत परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~कुलोकी - डक~~ परियोजना के निर्माण हेतु ~~3.220~~ हे० वन भूमि 3.220 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप सत जिलाधिकारी / अक्षय  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- सत  
जनपद- सत

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, सत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सत जिलाधिकारी / अक्षय  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- सत  
जनपद- सत



A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Sunan. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date..16.01.15.....at time..6:00 PM.....at Almora. in which application claiming rights of ..... area measuring 31220. hect. for the construction of *Kulali munda Deyikhal motor Road* of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

*[Handwritten Signature]*  
16-01-15  
जिला अधिकारी

(Full name of the official seal of the District Collector)



FORM-1  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector : Rudraprayag

No : .....

Dated:.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 3:220.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of

Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Kudoli Munra Devikhal motor Road.....

(Purpose for diversion of forest land) in Ahmerga district falls within jurisdiction of Munra/Kot Saspar village(s) in Salt Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3:220 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribble Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

  
जिला अधिकारी  
Signature  
अलीगढ़

(Full name of the official seal of the District Collector)



It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire <sup>3.220</sup> 2.362 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

  
16.01.15  
निलय अधिकारी  
Signature  
मानसिदा

(Full name of the official seal of the District Collector)



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में कुजौली-मुन्डा-देवीलाल मौर  
ग्राम का नया निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बाजिदारा बरलिगा / रण्डागढ़  
तहसील सल्ट, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कुजौली-मुन्डा-देवीलाल परियोजना  
के निर्माण हेतु (—) हे० आरक्षित वन भूमि, (—) हे० सिविल सोयम भूमि, 1.10 हे०,  
वन पंचायत भूमि 2.10 हे० अर्थात् कुल 3.20 हे० वन भूमि का

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बरलिगा द्वारा दिनांक 11-01-015 को  
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के  
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर  
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट  
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का  
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु  
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित  
किया गया कि ग्राम बरलिगा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि  
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर  
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-  
ग्राम सचिव

11/01/2015  
प्रधान

ह०/-  
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत रण्डागढ़  
वि०स० सल्ट जिला अल्मोड़ा

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो  
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता  
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



प्रपत्र-23.1

दिनांक 11-01-20/5 को ग्राम सभा की सम्मन बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खजूरकिया/बागघाट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित बरिष्ठ प्राग्वासियों के नाम	पता
1	श्री राजेश कुमार	ब्रजपुर
2	श्री सुखदेव	...
3	श्री प्रदीप	...
4	श्री अशोक	...
5	श्री रवि	...
6	श्री अमर	...
7	श्री अजय	...
8	श्री अमित	...
9	श्री अरुण	...
10	श्री अशोक	...
11	श्री अमित	...
12	श्री अजय	...
13	श्री अशोक	...
14	श्री अमित	...
15	श्री अजय	...
16	श्री अशोक	...
17	श्री अमित	...
18	श्री अजय	...
19	श्री अशोक	...
20	श्री अमित	...
21	श्री अजय	...
22	श्री अशोक	...
23	श्री अमित	...

*(Signatures and stamps)*

ग्राम सभा में उपस्थित बरिष्ठ प्राग्वासियों के नाम *(List of names)*  
 कुल संख्या 14 *(Total count)*

सदस्य  
 वर्ष 2014-15  
 ग्राम सभा



परियोजना का नाम :- जनपद - कलकौड़ा में कुलोली - मुन्डा - देवीखण्ड  
चार गाँव प्रपत्र-23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, राण्ड  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, राण्ड

उपखण्ड राण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुलोली - मुन्डा - देवीखण्ड  
राण्ड हे0 आरक्षित वन भूमि, 1120 हे0 सिविल एवं सौयम वन भूमि 2110 हे0  
वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3230 हे0 वन भूमि ) का  
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित  
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के  
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील राण्ड) की दिनांक 11-01-2015 को  
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक  
श्री राण्ड, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की  
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |   |
|----|---|
| 1- | श्री <u>राण्ड</u> उपजिलाधिकारी <u>राण्ड</u> अध्यक्ष                 |
| 2- | श्री <u>राण्ड</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी <u>राण्ड</u> सदस्य          |
| 3- | श्री <u>राण्ड</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी <u>राण्ड</u> सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>राण्ड</u> बी0डी0सी0 क्षेत्र <u>राण्ड</u> सदस्य              |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी  
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया  
कि जनपद - कलकौड़ा में कुलोली - मुन्डा - देवीखण्ड  
चार गाँव परियोजना हेतु 3230 हे0 वन

भूमि राण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों  
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त  
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग  
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, राण्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य  
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008  
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन  
अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया  
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।



FORM-1  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector : Almora

No : .....

Dated:.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 3.220 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development R.D. Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Kulali mandraon Desikhah meter Road

(Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Koti Jaspur village(s) in Sakt Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.220 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

[Signature]  
Tehsildar

[Signature]  
DM  
Almora  
(Full name of the official seal of the District Collector)

[Signature]  
DM 13/01/15  
जिला अधिकारी  
अल्मोड़ा



परियोजना का नाम :- जनपद - कुरुकोशी में कुरुकोशी - सुनडा - देवाखाल चार सभा

प्रपत्र-23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सुनडा  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, सुनडा

उपखण्ड सुनडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुरुकोशी - सुनडा - देवाखाल  
सुनडा हे0 आरक्षित वन भूमि, 1120 हे0 सविल एवं सीयम वन भूमि 21182 हे0  
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 21920 हे0 वन भूमि ) का  
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित  
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के  
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सुनडा) की दिनांक 11-01-2015 को  
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सुनडा चार सभा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |   |
|----|---|
| 1- | श्री <u>सुनडा चार सभा</u> उपजिलाधिकारी <u>सुनडा</u> अध्यक्ष                 |
| 2- | श्री <u>व.क. सुनडा</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी <u>सुनडा</u> सदस्य             |
| 3- | श्री <u>सुनडा चार सभा</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी <u>सुनडा</u> सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>सुनडा चार सभा</u> बी0डी0सी0 क्षेत्र <u>सुनडा</u> सदस्य              |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जनपद - कुरुकोशी में कुरुकोशी - सुनडा - देवाखाल चार सभा  
सुनडा परियोजना हेतु 21920 हे0 वन भूमि जनपद सुनडा जिला सुनडा

कुरुकोशी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सुनडा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।



FORM-1  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector : Almora

No : .....

Dated: .....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that...3.220...hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development <sup>R.D.</sup>Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Kulali Mandara Devital motor Road.....

(Purpose for diversion of forest land) in Almora.....district falls within jurisdiction of Koti Saspur.....village(s) in Sahit.....Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.220.....Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

*[Signature]*  
Tehsildar


*[Signature]*  
रिवा-मन्सोडा (उत्तरकाण्ड)  
हस्त,  
(Full name of the official seal of the District Collector)

*[Signature]*  
DM 3.015  
जिला अधिकारी  
अयोडा



# डिजिटल मैप-जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अर्न्तगत कुनोली - मुनडा - देवीखाल मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 15.00 किमी०)

0 0.5 1Km




## Legend

- Proposed Plantation Bandran Basal Civil

Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the map. The stamps include the name of the District Engineer, Almora, and the District Engineer, Dehra Dun. There are also some illegible handwritten notes in Hindi.



जीयोरेफेरेंस मैप – जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अर्न्तगत कुनोली – मुन  
मोटर मार्ग निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल






# जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अर्न्तगत कुनोली – मुनड़ा – देवीखाल मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 15.00 कि०मी०)



0 0.25 0.5 1 Km  
Scale - 1:25,000

79°8'0"E 79°8'30"E 79°9'0"E 79°9'30"E 79°10'0"E 79°10'30"E



S.no.	Longitude	Latitude
1	79° 9' 27.637" E	29° 39' 30.802" N
2	79° 9' 29.091" E	29° 39' 36.809" N
3	79° 9' 25.591" E	29° 39' 40.835" N
4	79° 9' 21.279" E	29° 39' 45.192" N
5	79° 9' 16.341" E	29° 39' 49.300" N
6	79° 9' 13.046" E	29° 39' 54.591" N
7	79° 9' 5.696" E	29° 39' 59.637" N
8	79° 9' 2.105" E	29° 39' 56.868" N
9	79° 8' 55.674" E	29° 39' 54.246" N
10	79° 8' 48.921" E	29° 39' 53.888" N
11	79° 8' 46.642" E	29° 40' 0.307" N
12	79° 8' 45.479" E	29° 40' 7.067" N
13	79° 8' 42.029" E	29° 40' 12.473" N
14	79° 8' 37.422" E	29° 40' 17.578" N
15	79° 8' 31.565" E	29° 40' 23.209" N
16	79° 8' 28.104" E	29° 40' 19.721" N
17	79° 8' 22.134" E	29° 40' 16.087" N
18	79° 8' 16.106" E	29° 40' 12.782" N
19	79° 8' 9.863" E	29° 40' 9.778" N
20	79° 8' 5.774" E	29° 40' 14.929" N
21	79° 7' 59.373" E	29° 40' 16.092" N
22	79° 7' 52.522" E	29° 40' 14.838" N
23	79° 7' 48.397" E	29° 40' 12.717" N
24	79° 7' 50.657" E	29° 40' 20.787" N
25	79° 7' 52.741" E	29° 40' 26.342" N
26	79° 7' 50.381" E	29° 40' 32.785" N
27	79° 7' 51.697" E	29° 40' 37.669" N
28	79° 7' 51.914" E	29° 40' 44.329" N
29	79° 7' 57.984" E	29° 40' 45.835" N
30	79° 8' 4.011" E	29° 40' 44.363" N
31	79° 8' 10.399" E	29° 40' 44.859" N
32	79° 8' 15.798" E	29° 40' 46.493" N
33	79° 8' 22.876" E	29° 40' 42.502" N
34	79° 8' 19.915" E	29° 40' 45.825" N
35	79° 8' 17.018" E	29° 40' 52.159" N
36	79° 8' 11.262" E	29° 40' 54.651" N
37	79° 8' 8.757" E	29° 40' 57.438" N
38	79° 8' 18.245" E	29° 40' 55.262" N
39	79° 8' 25.076" E	29° 40' 55.690" N
40	79° 8' 31.958" E	29° 40' 54.787" N
41	79° 8' 35.090" E	29° 40' 48.653" N
42	79° 8' 39.236" E	29° 40' 44.112" N
43	79° 8' 44.815" E	29° 40' 45.866" N
44	79° 8' 49.590" E	29° 40' 45.169" N
45	79° 8' 47.056" E	29° 40' 49.543" N
46	79° 8' 50.807" E	29° 40' 51.846" N
47	79° 8' 46.026" E	29° 40' 55.636" N
48	79° 8' 48.929" E	29° 40' 59.575" N
49	79° 8' 53.404" E	29° 41' 4.107" N
50	79° 8' 54.169" E	29° 41' 9.803" N
51	79° 8' 57.808" E	29° 41' 14.451" N
52	79° 9' 3.330" E	29° 41' 16.394" N
53	79° 9' 0.811" E	29° 41' 21.356" N
54	79° 9' 0.166" E	29° 41' 26.648" N
55	79° 8' 53.619" E	29° 41' 25.926" N
56	79° 8' 47.802" E	29° 41' 22.847" N
57	79° 8' 42.209" E	29° 41' 21.968" N
58	79° 8' 37.285" E	29° 41' 17.888" N
59	79° 8' 31.557" E	29° 41' 20.634" N
60	79° 8' 28.932" E	29° 41' 26.710" N
61	79° 8' 30.955" E	29° 41' 32.695" N
62	79° 8' 25.653" E	29° 41' 35.079" N
63	79° 8' 19.902" E	29° 41' 38.371" N
64	79° 8' 20.216" E	29° 41' 42.962" N
65	79° 8' 24.590" E	29° 41' 46.197" N
66	79° 8' 26.843" E	29° 41' 51.577" N
67	79° 8' 31.698" E	29° 41' 55.395" N
68	79° 8' 33.285" E	29° 42' 0.936" N
69	79° 8' 28.364" E	29° 42' 2.692" N
70	79° 8' 21.708" E	29° 42' 2.878" N
71	79° 8' 15.723" E	29° 42' 5.687" N
72	79° 8' 17.587" E	29° 42' 10.798" N
73	79° 8' 18.351" E	29° 42' 15.574" N
74	79° 8' 11.414" E	29° 42' 15.594" N
75	79° 8' 6.341" E	29° 42' 19.760" N

## Legend

- GPS Coordinates
- Proposed Road

## लैन्ड शेड्यूल

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत कुलोली-मुनड़ा-देवीखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 16.00 किमी.)

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र बेनाप/वन पंचायत भूमि

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	याचित क्षेत्रफल (है०)
अल्मोड़ा	सल्ट	सल्ट	वन पंचायत	2.10
अल्मोड़ा	सल्ट	सल्ट	राजस्व भूमि	1.12
			कुल योग :-	3.22 है०

(प्रमाणित सिद्ध)  
अधीन  
कस्तीम खसरा, आवासीय/व्यवसायिक  
समीक्षा

(प्रमाणित सिद्ध)  
अधीन  
कस्तीम खसरा, आवासीय/व्यवसायिक  
समीक्षा

(प्रमाणित सिद्ध)  
अधीन  
कस्तीम खसरा, आवासीय/व्यवसायिक  
समीक्षा

(प्रमाणित सिद्ध)  
अधीन  
कस्तीम खसरा, आवासीय/व्यवसायिक  
समीक्षा

(प्रमाणित सिद्ध)  
अधीन  
कस्तीम खसरा, आवासीय/व्यवसायिक  
समीक्षा

(प्रमाणित सिद्ध)  
अधीन  
कस्तीम खसरा, आवासीय/व्यवसायिक  
समीक्षा

(प्रमाणित सिद्ध)  
अधीन  
कस्तीम खसरा, आवासीय/व्यवसायिक  
समीक्षा

(प्रमाणित सिद्ध)  
अधीन  
कस्तीम खसरा, आवासीय/व्यवसायिक  
समीक्षा

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला अधिकारी  
अल्मोड़ा